प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 24.11.23

थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से 110 ग्राम अवैध एल्प्राजोलम पाउडर बरामद।

दिनांक 23.11.2023 को थाना लिंकरोड़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर ईदगाह गेट के सामने मेन रोड ग्राम महाराजपुर से अभियुक्त शाहरुख खाँन पुत्र स्व0 अनवर खाँन नि0 ईदगाह के सामने खाँन मेडीकल महाराजपुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद को अवैध 110 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शाहरूख उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-
शाहरुख खाँन पुत्र स्व0 अनवर खाँन नि0 ईदगाह के सामने खाँन मेडीकल महाराजपुर थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण
110 ग्राम एल्प्राजोलम पाऊडर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-
थाना लिंकरोड पुलिस टीम

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा धर्मपरिवर्तन कराने की साजिश का खुलासा करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 23-11-23 को वादी श्री अक्षय श्रीवास्तव निवासी आश्रम रोड़ नन्दग्राम गाजियाबाद ने थाना नन्दग्राम पर सूचना दी कि मेरी माता जी श्रीमती मीनू को ईलाज के नाम पर एक मौलवी द्वारा दवाब बनाकर पूरे परिवार का धर्म परिवर्तन किया गया है। उक्त संबंध में पीडिता श्रीमती मीनू पत्नी नन्दकिशोर उपरोक्त द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017 में शारीरिक व मानसिक रुप से काफी परेशान थी, तो मुझे कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि आप वहां पर ईलाज कराये वहां पर एक मौलवी द्वारा अच्छा ईलाज किया जाता है। तो मैं वहां ईलाज कराने चली गयी, जहां पर मौलवी सरफराज द्वारा मेरा झाड फुंक से ईलाज किया गया तो सरफराज ने कहा यदि वह अपने धर्म को मानोगे तो मेरे ईलाज का फायदा नहीं होगा और वह इस्लाम धर्म को मानना शुरु कर दो तो तुम्हे बहुत ही जल्दी मेरे ईलाज का फायदा होगा। तो मैनें घर से सरफराज के कहने पर अपने मंदिर के देवी देवताओ की तस्वीरे हटा दी और इस्लाम धर्म के अनुरुप आचरण शुरु कर दिया और अपने नाबालिक बच्चो को भी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहने लगी थी। सरफराज मौलवी के अपने यहां पर ईलाज के लिए अन्य लोगो को भी यही कहता था कि तुम सब अपना धर्म

छोडकर इस्लाम धर्म का आचरण करोगे तो तुम्हे ईलाज में जल्दी व अच्छा नतीजा मिलेगा, मैं ऐसे कई लोगो को जानती हूँ, जिनके साथ मौलवी सरफराज द्वारा ऐसा किया गया है। मुकदमा वादी अक्षय श्रीवास्तव उसके छोटे भाई व बहन द्वारा भी बताया गया कि हमारी माता जी द्वारा हमें भी हिन्दू धर्म छोडकर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बार बार प्रेतित किया।

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, टीम गठित कर सर्विलांस व सीसीटीवी कैमरे की मदद से चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दिनांक 24-11-23 को मोरटी तिराहे के पास से अभि0 को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभि0 का नाम व पता-

सरफराज पुत्र शमसाद अली ग्राम मोरटा थाना मधुबन वापूधाम गा0बाद उम्र 36 वर्ष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार किये गये अभि0 सरफराज ने बताया कि मैने कई वर्ष पूर्व हज किया था, उसके बाद से ही मैने झाडने फुंकने का काम शुरु किया था, मैं यह काम लगभग 08 वर्षो से कर रहा हूँ। मैं ईलाज के नाम पर अन्य धर्म के लोगो को मुस्लिम धर्म/ इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करता हूँ।

अभि0 का आपराधिक इतिहास—

अभि0 सरफराज के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर एक अभियोग धर्मपरिवर्तन का तथा थाना मधुबन बापूधाम पर एक अभियोग धोखाधडी व औषधि और चमत्कारिक उपचार एक्ट का पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद ।

पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्ज़े से लूटे हुए 02 मोबाईल फोन एवं घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी बरामद ।

दिनांक 23.11.2023 को वादी उज्जवल गोयल ने अपने साथ अपना मोबइल लूट होने के संबंध मे सूचना दी । इस संबंध मे थाना नन्दग्राम पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है ।

घटना के सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया । सभी टीमों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान दिनांक 24.11.2023 को पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त शादब को हिन्डन विहार की तरफ जाने वाले कट के पास से गिरफ्तार किया गया है व अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण-

1. 02 मोबाइल फोन
2. 01 स्कूटी (घटना में प्रयुक्त)

अभियुक्त का नाम व पता –

- शादाब उर्फ शाहरुख पुत्र आकिल मलिक निवासीम0न0-2192 नियर मोती मस्जिद केला भट्टा थाना कोतवाली जनपद गाज़ियाबाद उम्र 25 वर्ष

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं नशे का आदि हूँ, अपने नशे के शौक को पुरा करने के लिये मै लोगो के फोन छिन लेता हूँ तथा राह चलते लोगो को सस्ते दामों में बेचकर लाभ अर्जित कर अपने शौक पूरे करता हूँ।

अभि0 का आपराधिक इतिहास—

अभियुक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर 02 अभियोग लूटपाट सम्बन्धित व थाना सिहानी गेट पर 01 अभियोग चोरी संबंधित कुल 03 अभियोग पंजिकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना मे फरार/ वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1 लाख 45 हजार 500/- रूपये लूटे गये बरामद।

दिनांक 04.11.2023 को चौकी माडल टाउन क्षेत्र मे हुई लूट की घटना के सम्बन्ध मे पंजीकृत मु0अ0स0 607/23 धारा 395,412,120बी भादवि0 एवं मु0अ0स0 618/23 धारा 307 भादवि0 मे फरार / वांछित अभियुक्त शोभित शर्मा को लूटे गये कुल 145500/- रूपयो सहित गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही का विवरण-

घटना का सफल अनावरण हेतु टीमो का गठन किया तथा आज दिनांक 24.11.2023 को सीसीटीवी कैमरा व लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शोभित शर्मा को साजन कट कोतवाली नगर क्षेत्र से पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना मे लूटे गये रूपयो मे से 145500/- रूपये बरामद हुए। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्त शोभित शर्मा ने बताया कि मैने अपने साथी विश्वनाथ, रोहित उर्फ चूचा, मनोज उर्फ करन के साथ मिलकर दिनांक 04.11.23 को समय लगभग 8.30 बजे विजयनगर से चौधरी मोड की तरफ आने वाले रेलवे फ्लाई ओवर के ऊपर हम चारो ने कमल की स्कूटी छीन ली और उसे लेकर भाग गये उस स्कूटी की डिग्गी मे 9 लाख पचास हजार रुपये थे जो हम सब ने अपने अपने काम के हिसाब से बांट लिये आपको जो रुपये मुझसे बरामद हुए है वह इसी लूट की घटना से मेरे हिस्से मे आये रुपये है।

नाम पता अभियुक्त

सोभित शर्मा पुत्र राजन शर्मा निवासी- सर्वोदय नगर कालोनी पिलखुवा थाना पिलखुवा जनपद हापुड

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त शोभित के विरुद्ध जनपद नोएडा मे हत्या का प्रयास , रंगदारी , आयुध अधिनियम व गैगस्टर एक्ट के कुल 08 अभियोग एवं गाजियाबाद मे 01 मुकदमा लूट व 01 अभियोग पुलिस मुठभेड का पंजीकृत है।

बरामदगी-

नगदी रूपये – 145500/-

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम